2042

संख्या : / II–2006–12/1(11)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

पुनर्वास निदेशक,
पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बाँध,
परियोजना, टिहरी।

सिंचाई विभाग दिनांक : देहरादून 17-4 मार्च, 2006

विषय : जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्राम डोबरा के निकट भागीरथी नदी पर 532 मी0 स्पान भारी वाहन झूला पुल के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्धशा0 पत्र सं0 03/पु0नि0 टि0बा0परि/2005 दिनांक 23.03.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिहरी बाँध परियोजना की झील से कटऑफ एरिया के वर्तमान आवागमन के मार्ग झील में समाहित हो जाने के फलस्वरूप झील पार क्षेत्र की आवागमन की सुविधा की पुनर्स्थापना हेतु डोबरा के निकट भागीरथी नदी पर 532 मी0 स्पान भारी वाहन झूला पुल के निर्माण हेतु रू0 90.00 करोड़ के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 89.20 करोड़ (रुपये नवासी करोड़ बीस लाख मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरें शिड्यूल रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....2

5— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों व भूगर्भवेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाय।

7— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8— निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व सामग्री को किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9— योजना का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 18/XXVII (2)/2006 दिनांक 15 अप्रैल, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्या : 2052 /II—2006—12/1(11)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा को मा0 राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2— महालेखाकार, उत्तरांचल।
3— वित्त अनु—2।
4— कोषाधिकारी, टिहरी।
5— नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसर्म्पक विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8— गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।